

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक:- एफ 4 (ई) द्वितीय एसीपी 90/अलेसे-III/ 11237-11302 दिनांक:- 06-01-2012

आदेश संख्या 226/2011-12

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11 (7) वित्त (नियम)/2008 दिनांक 12-09-2008 एवं आदेश संख्या एफ 11 (7) वित्त (नियम) पार्ट- I/2008 दिनांक 06-10-2008 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय आशवासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी) वेतन श्रृंखला पी0बी0-2 (9300-34800) ग्रेड पे 4200/- में स्वीकृत की जाती है :-

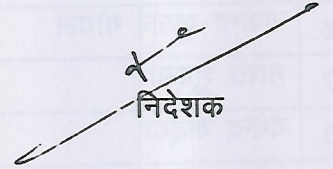
क्र. सं	नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्वश्री	मेरिट/बैच न0	कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय ए.सी.पी. स्वीकृति दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	श्याम सुन्दर	107/90	26.07.1993	26-07-2011	
2.	चन्द्र मोहन मालव	189/90	03.01.1994	03.01.2012	
3.	नुरारी लाल गुप्ता	401/90	03.01.1994	03.01.2012	
4.	रविन्द्र कुमार काबरा	407/90	03.01.1994	03.01.2012	
5.	दामोदर प्रसाद अग्रवाल	409/90	03.01.1994	03.01.2012	
6.	राजेन्द्र कुमार गोयल	423/90	03.01.1994	03.01.2012	
7.	भारत शुक्ला	428/90	03.01.1994	03.01.2012	
8.	देवेन्द्र कट्टा	435/90	03.01.1994	03.01.2012	
9.	सांवर मल जाट	436/90	03.01.1994	03.01.2012	
10.	भंवर लाल शर्मा	451A/90	03.01.1994	03.01.2012	
11.	नागरमल शर्मा	455/90	03.01.1994	03.01.2012	
12.	धीरज खन्ना	475/90	03.01.1994	03.01.2012	
13.	नरसिंह देव शर्मा	502/90	03.01.1994	03.01.2012	
14.	मदन लाल	507/90	03.01.1994	03.01.2012	
15.	वेद प्रकाश	512/90	03.01.1994	03.01.2012	
16.	मदन लाल मेहता	514/90	03.01.1994	03.01.2012	
17.	श्री निवास जाखड़	518/90	03.01.1994	03.01.2012	
18.	राजेन्द्र कुमार अग्रवाल	525/90	03.01.1994	03.01.2012	
19.	लक्ष्मी कान्त मंगल	526/90	03.01.1994	03.01.2012	
20.	कीर्ति भड़सावले	527/90	03.01.1994	03.01.2012	
21.	चन्द्र शेखर गुप्ता	534/90	03.01.1994	03.01.2012	
22.	श्याम सुन्दर	541/90	03.01.1994	03.01.2012	
23.	राम बाबू शर्मा	548/90	03.01.1994	03.01.2012	
24.	टीकम चन्द शर्मा	553/90	03.01.1994	03.01.2012	
25.	मन्जुल कुमार शर्मा	554/90	03.01.1994	03.01.2012	
26.	पुखराज जांगिड़	555/90	03.01.1994	03.01.2012	
27.	प्रदीप राज पारीक	570/90	03.01.1994	03.01.2012	
28.	भगवान दास अरोड़ा	572/90	03.01.1994	03.01.2012	
29.	जीत सिंह	576/90	03.01.1994	03.01.2012	
30.	बाबू लाल शर्मा	577/90	03.01.1994	03.01.2012	
31.	सुरेन्द्र कुमार जोशी	584A/90	03.01.1994	03.01.2012	

लगातार

उक्त कनिष्ठ लेखाकारों को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प0 14 (88) वित्त/नियम /2008 दिनांक 31-12-2009 में दी हुई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा सन्तान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

क्रम संख्या 2, 4 से 11, 13 से 22, 25, एवं 27 से 29 पर अंकित कनिष्ठ लेखाकारों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नहीं होने पर वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के मेमोरण्डम दिनांक 07-06-2011 के अनुसरण में उतने ही पिछले वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

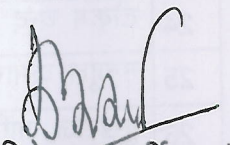
उपर्युक्त कनिष्ठ लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12-09-08 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में की जावे।


निदेशक

क्रमांक:- एफ 4 (ई) द्वितीय एसीपी 90/अलेसे-III/ 11237 -11302 दिनांक:- 06-01-2012

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
- 2- श्री कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय
- 3- निजी सहायक निदेशक, महोदय।
- 4- संयुक्त निदेशक (कार्मिक-I) (गोपनीय शाखा) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कनिष्ठ लेखाकार के भविष्य में वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।
- 5- कम्प्यूटर (वेबसाइट हेतु) शाखा।
- 6- निजी/गार्ड फाईल।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II)